ॳ/

महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति

संख्या-2496/2023/001-04SA23-1738288

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 दिसम्बर, 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना हेतु नगर विकास विभाग के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के अन्तर्गत धनराशि रू0-50.00 करोड़ प्राविधानित की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना हेतु नगर विकास विभाग के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0-50.00 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) उक्त स्वीकृतियॉ वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निर्गत की जा रही है।

(ii) उक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय, नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेशों के क्रम में सुनिश्चित किया जाय।

(iii) वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेशों के क्रम में कराये गये कार्यों का नियमानुसार गुणवत्ता परीक्षण करने के उपरान्त संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त संबंधित निकायों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(iv) निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ निवर्तन पर रखी गयी धनराशि अनावश्यक रूप से बैंक खाते में नहीं रखेंगे अपितु आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर बैंक खातों मे हस्तान्तरित करेंगे।

(v) उक्त धनराशि जिस मद के लिये स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। उक्त मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(vii) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च 2023 यथा संशोधित आदेश दिनांक 19.09.2023 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217808001100 प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-279 -X-2023-24, दिनांक- 04 दिसम्बर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

Digitally Signed by अमृत अभिजात
Date: 12-12-2023 13:46:54
Reason: Approved

संख्या-२९९६/2023/001-04SA23, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (शहरी) लखनऊ।
6-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
9- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
12- कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।